भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3901
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

केरल में कृषि को बढ़ावा देना
3901. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का केरल में विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृषि को बढ़ावा देने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने भूमि को छोटे भूखंडों में विभाजित किए जाने के कारण छोटी जोतों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने मशीनीकृत खेती से कृषि उत्पादकता में आई कमी के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का केरल में खाद्य फसलों की कृषि को बढ़ावा देने का विचार है, यदि हां, तो इस संबंध में की-गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने केरल में किसानों को बाजार की अस्थिरता और कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) जैविक खेती में सुधार लाने के लिए दुष्प्रभावरहित कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): कृषि राज्य का विषय है और सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किया जाता है। केरल सहित सभी राज्यों में कृषि विकास के लिए, राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं हेतु अपनी स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अनुसार व्यवस्थाएँ करती हैं।

भारत सरकार किसानों के कल्याण की योजनाओं के लिए उचित नीतिगत उपायों और बजटीय आवंटन के माध्यम से राज्यों का सहयोग करती है। भारत सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, किसानों को लाभकारी रिटर्न और आय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के बजट प्राकलन में 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के बजट प्राकलन में 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है। केरल सहित देश में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस
   स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)

4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम.आई.एस.एस.)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
15. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एस.एच. एंड एफ.)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
22. इंटीग्रेटेड स्कीम फ़ॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आई.एस.ए.एम.)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
26. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
27. राष्ट्रीय बांस मिशन

इन योजनाओं का उद्देश्य छोटी जोतों में कृषि को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, खाद्यान्न फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना, बाजार की अस्थिरता और मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से किसानों को बचाना तथा किसानों के लिए लाभकारी रिटर्न और बढ़ी हुई आय सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2014-15 से, एसएमएएम के अंतर्गत, मशीनीकरण को बढ़ावा देने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केरल को केंद्रीय निधि में ₹313.23 करोड़ प्राप्त हुए हैं। इससे 1,18,105 से अधिक सब्सिडी वाली कृषि मशीनों का वितरण, 91 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना और 1,596 ग्राम स्तरीय कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना में मदद मिली है। एमआईडीएच (वर्ष 2014-15 से वर्ष 2024-25) के अंतर्गत, 51,359 हेक्टेयर भूमि को बागवानी फसलों के अंतर्गत लाया गया, 34 नर्सरियाँ स्थापित की गईं, 4,994 हेक्टेयर भूमि का पुनरुद्धार किया गया और 510 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित खेती के अंतर्गत लाया गया। एआईसीआरपी, पट्टाम्बि में दलहनों के लिए एक बीज केंद्र भी स्थापित किया गया और इसे साथी पोर्टल पर जोड़ा गया। 3 जुलाई 2025 तक, ₹1,984 करोड़ की परियोजना लागत वाली 3,572 एआईएफ परियोजनाओं के लिए ₹1,279 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के अंतर्गत, 2015-16 से अब तक 6,331 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है, जिसके लिए 89.56 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। मूल्य समर्थन योजनाओं के अंतर्गत, वर्ष 2023-24 में 6209 किसानों से 12.14 करोड़ रुपये में 1,118,30 मीट्रिक टन खोपरा खरीदा गया।

*****